

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 08/08/2021

कार्यालय नमः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित सम्बद्धता पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में विस्तार संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु विस्तार/सहित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4426-SAMS INSTITUTE OF TECHNOLOGY,BHELKHA, SHIVPUR, VARANASI			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था प०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992; डीमेन्टर विनियमनवली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा के प्रति किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए जाने वाले शासनदेश सम्पत्ती होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा सदि सत्र 2021-22 हेतु शैक्षिक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो शैक्षिक की समीक्षात्मक दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में तदनुक्रम प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को प०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अग्रणी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/आवनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० द्वारा बनाये गये नियमों, विधिनयों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियम इन आईसी पठ्यक्रम को संस्थाएं यदि जो सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बट टाकर मिया जाता है तथा टाकर बट के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन आईसी पठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 01/01/2021 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आशेषा नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिभाग-परीक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रेजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सम्पादित संचालित पठ्यक्रम को संचालित हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्यवाई अभिलेख, भूमि-स्वत, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होनी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति को लवनी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या 01/01/2021 से 01/01/2021 परिसर के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमान अनुशासनानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4889

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य,निदेशक, SAMS INSTITUTE OF TECHNOLOGY,BHELKHA, SHIVPUR, VARANASI



(सुनील कुमार सोनकर)



## कार्यालय

### सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संख्या/दिनांक: 30/08/2022

#### -कार्यालय नाम:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/जार्जोनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विन्तावा उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति को बंधक संपन्न हुई। बंधक से समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित हुई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्राव्यक्त प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य सर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति को बंधक से लिये गये निर्णय के अनुरूप से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु विन्तावा शर्तों के अधीन प्राव्यक्त एवं उक्त अभिल प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4426-SAMS INSTITUTE OF TECHNOLOGY			
क्र०सं०	प्राव्यक्त का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	40	40

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकी 1992 विनियमनकी-2000 सेलेक्टड विनियमनकी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय हजीर प्राव्यक्तों हेतु रु० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय जार्जोनी प्राव्यक्त हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय प्राव्यक्तों (दो वर्षीय जार्जोनी प्राव्यक्त के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा बंटे सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाना है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार जिरिलया एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनियम/अधिविनियम/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बताये गये विनियम, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों

का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा इसके बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिल ज्वाला पर्यवेक्षक एवं प्रदेश हेतु प्रायोजित कौटुम्बिक प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (कौटुम्बिक के माध्यम से प्रदेश परीक्षा के आधार पर/तीर्थे प्रदेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्धारित नवीकरण आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं उक्त संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, मात-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाये वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-पेशिमा हेतु उपयुक्त माता-पिता उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक गति के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था वह सुनिश्चित हो ले कि संस्था से प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम का चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य मात-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिसर के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में तत्काल अनुसंधान/समाप्त कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आई0 सी0टी0ई0)

सचिव

दु0स0- प्राथम/परिसर सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/03/2022

प्रतिलिपि-

उपान्तवाकं निदेशक, SAMS INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(एफ0आई0 सी0टी0ई0)

सचिव

**कार्यालय,**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविषा/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023.

**:-कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4426-3AM'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	40	40
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के एन संख्या 311/15-30909/2022 टै०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की जांच के लिए माननीय न्यायालय में प्रेषित रिट याचिका संख्या 5987/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पासक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को प्रत्येक छात्र-छात्रा से मांग किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। जोस निर्धारण समिति द्वारा एक्ट सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसरण निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिविधियों अधिनियमों/शासनदोसों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था लक्ष्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद दापर किया जाता है तथा दापर काद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा प्रबन्धक बोर्ड के लिए अयोचित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्मित नवीनतम आरक्षण-विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू०आइ० पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ, भूमि, स्टाफ, साज-सजा, उपकरण, प्राद किया जाने वाला सूचक, छात्रावास सूचक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित ग्राह्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-पत्र, कर्नल, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य ग्राह्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यवाहियों, पत्रों और कर्नल को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, पत्र, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAMS INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव